



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127028

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18657 सन् 2026

पिंटू सोनकर

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदकगण के अधिवक्ता : अनिल कुमार, यशपाल यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अनिल कुमार, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-176 सन् 2025, बी.एन.एस. की धारा-305(ए), 331(4) एवं 317(2) (जिसे आगे भारतीय न्याय संहिता कहा गया है) के अन्तर्गत, थाना-साढ़, जनपद-कानपुर नगर में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई थी, अन्वेषण के दौरान आवेदक को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



फर्जी पुलिस मुठभेड़ में पकड़ लिया गया और फर्जी तरीके से बरामदगी दर्शाकर उसे इस मामले में झूठा फंसा दिया गया है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपराध कारित किए जाने के संबंध में आवेदक के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का 4 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिनका आवेदन में भली-भांति स्पष्टीकरण दिया गया है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अन्वेषण के पश्चात आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक 18.11.2025 से जेल में निरुद्ध है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।
6. अपराध की प्रकृति, मामले के समस्त विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों, अभियुक्त की संलिप्तता, दंड की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत के लिए मामला बनाया है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
7. आवेदक-पिटू सोनकर, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा 2 प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक ऐसे किसी अपराध को कारित नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके कारित किए जाने का उस पर आरोप है या जिसके कारित किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iii) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता (धारा 269 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता (धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता (तत्सम धारा 209 भारतीय न्याय संहिता) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप निर्धारित किए जाने तथा (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता (तत्सम धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

(संजीव कुमार, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जून 12, 2026

ए.एन. मिश्रा

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”